समाहरणालय,बेगूसराय।

(जिला राजस्व शाखा)

<u>डाक बन्दोवस्ती सूचना</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों में पड़ने वाले हाट / बाजार/ मेंला/ बस पड़ाव एवं घाट सैरातों की वित्तीय वर्ष 2015–16 की शेष अवधि के लिए बंदोवस्ती खुली डाक द्वारा जिला स्तर पर की जायेगी । स्वीकृत्यादेश की प्रत्याशा में अनुशंसित सुरक्षित पर जमा डाक बंदोवस्ती की कार्यवाही की जा रही है, किन्तु अनुशंसित सुरक्षित जमा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो वह लेसी को स्वीकार करना होगा ।

क0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	प्रस्तावित सुरक्षित जमा	जमानत की राशि	नीलामी का स्थान (सभी सैरातों के लिए)	बंदोवस्ती की तिथि (सभी सैरातों के लिए)
1	2	3	4	5	6	7
1	चे0बरियारपुर	मंझौल बस पड़ाव	1642545.00	410636.00	समाहरणालय कारगिल विजय सभा भवन	(सभी सैरातों के लिए) प्रथम तिथि 08.12.2015 (सोमवार) पूर्वा0–12.00 बजे उस दिन डाक नहीं हो पाने की स्थिति में अगली तिथि 09.12.2015 (मंगलवार) पूर्वा0 12.00 बजे उस दिन भी डाक नहीं हो पाने की स्थिति में अगली तिथि– 10.12.2015 (बुधवार) पूर्वा0 12.00 बजे
2	चे0बरियारपुर	कोरजाना घाट	275279.00	68820/–		
3	चे0बरियारपुर	विकमपुर घाट	286983.00	71746.00		
4	सा0कमाल	कुरहा हाट	367046.00	91762.00		
5	सा0कमाल	मल्हीपुर हाट	96371.00	24093.00		
6	मटिहानी	चाक घाट, महेन्द्रपुर वागडोभ	119025/–	29756.00		
7	मटिहानी	रामपुर हाट	63927.00	15982.00		
8	बलिया	कोहवा घाट सहवेगपुर घाट नौरंगा घाट हुसैना घाट	134895/–	33724.00		

<u>डाक की शर्त्ते</u>

1. जो सैरात जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बन्दोवस्त होगी ।
2. बन्दोवस्ती वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बन्दोवस्ती की तिथि से 31.03.2016 तक के लिए होगी ।

3. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक प्रारंभ होने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि जिला नजारत उप समाहर्त्ता, बेगूसराय के कार्यालय में जमा कर नाजिर रसीद मूल में जमा करना होगा अन्यथा डाक में भाग नहीं ले सकेगें ।
4. सफल डाकवक्ता को बन्दोवस्ती की पूरी राशि एकमुश्त डाक समाप्ति के पश्चात् तुरन्त जमा करना होगा । सफल डाकवक्ता यदि बंदोवस्ती की बोली के उपरान्त डाक की पूरी राशि जमा नहीं करते हैं तो उनकी अग्रधन की राशि जप्त करते हुए दूसरे स्थान पर रहने वाले डाकवक्ता के साथ बंदोवस्ती कर दी जायेगी ।
5. बन्दोवस्ती प्राप्त डाकवक्ताओं को निर्धारित सरकारी दर पर ही शुल्क वसूली का अधिकार होगा ,अन्यथा अनियमितता पायी जाने पर बंदोवस्ती रद्व कर दी जायेगी ।
6. डाकवक्ता को जमानत राशि के साथ जिस डाक में भाग लेना होगा अलग–अलग आवेदन देना होगा एवं अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र जो अनुमंडल पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अथवा अन्य सक्षम पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो, जमा करना होगा । साथ ही डाकवक्ता को पैन कार्ड की छायाप्रति दाखिल करनी होगी ।
7. पूर्व के बकायेदार बन्दोवस्ती में भाग नहीं ले सकेगें ।
8. किसी भी प्रकार की वसूली व्यवधान की स्थिति उत्पन्न होने पर बन्दोवस्ती की राशि में छूट नहीं दी जायेगी ।
9. असफल डाकवक्ताओं का अग्रधन की राशि डाक समाप्ति के पश्चात् लौटा दी जायेगी ।
10. बन्दोवस्ती लेने वाले व्यक्ति को डाक के बाद किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी । अन्य सभी शर्त्तो जो अधोहस्ताक्षरी के द्वारा तय किये जायेगें का अक्षरशः पालन करना होगा । ऐसा नहीं किये जाने पर उनके एकरारनामा को रद्व करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा ।
11. किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये स्थगित / निलंबित अथवा निविदा रद्व करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
12. इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त शर्त्तो के अधीन निर्धारित तिथि ,स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते हैं ।

23/11/15

समाहर्त्ता, बेगूसराय ।